संख्या-27/2021/।/94785/2021/71-4002(002)/2/2021-4

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर
शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 14 सितम्बर , 2021

विषयः-वित्तीय वर्ष 2021-22 में सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा के गैर वेतन मद में द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस.एस.पी.एच.एण्ड पी.जी.टी.आई./2021/107, दिनांक 11.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक-2210-05-105-03-0370 सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा की स्थापना के मानक मद-20 सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा उनके सम्मुख अंकित 20-सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3800.00 लाख में से धनराशि रू0 630.00 लाख की धनराशि पत्र संख्या-15/2021/62757/71-4-2021, दिनांक 07.04.2021 के द्वारा स्वीकृत की गयी थी। आपके पत्र संख्या-एस.एस.पी.एच.एण्ड पी.जी.टी.आई./2021/107, दिनांक 11.08.2021 के साथ उपलब्ध कराये गये उपयोगित प्रमाण पत्र के दृष्टिगत सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा को 20 सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) के

अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 3800.00 लाख में से द्वितीय किश्त के रूप धनराशि रू0 630.00 लाख (रूपये छः सौ तीस लाख मात्र)की धनराशिअवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जायेगा।
2- धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा इसके आभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।
5- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-944/दस-2021-2022 के उपरान्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/2021/I/**94785/2021/71-4002(002)/2/2021-4** तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, नोएडा।
4- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त अधिकारी, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान नोएडा।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2
7- नोडल ऑफिसर/संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव